

आदेश पारित द्वारा श्री एम.बी.सिरसैया, वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल बड़वाह,

जिला खरगोन, म.प्र.

आदेश क्रमांक/मा.चि./2022/ 148

बड़वाह, दिनांक 6-4-2022

१५

// आदेश //

सामान्य वनमण्डल बड़वाह अन्तर्गत वन परिक्षेत्र सनावद में वित्तीय वर्ष 2022-23 में इन्दौर-एदलाबाद फोरलेन निर्माण में कक्ष क्रमांक 291 की 3.2 हेक्टेयर वन भूमि उपयोग के बदले दोगुने वनक्षेत्र में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, कक्ष क्रमांक 291, वनमण्डल की प्रचलित कार्य आयोजना में वृक्षारोपण कार्य वृत्त के अन्तर्गत 6.5 हेक्टेयर की क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की योजना प्रस्तावित है जिसमें स्थल की मृदा की गहराई BL-2 के समतुल्य है। प्रस्तावित स्थल मिश्रित वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाया गया।

अतः उप वनमण्डलाधिकारी बड़वाह एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी सनावद के द्वारा प्रस्तुत स्थल निरीक्षण प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर आदेश किया जाता है कि, कक्ष क्रमांक 291, रकबा 6.5 हेक्टेयर BL-2 वनक्षेत्र के समतुल्य है।


(एम.बी.सिरसैया)

भा.व.से.

वनमण्डलाधिकारी

सामान्य वनमण्डल बड़वाह

पृष्ठां. क्रमांक/मा.चि./2022/ 2842

बड़वाह, दिनांक 6-4-2022

प्रतिलिपि :-

- 1 मुख्य वन संरक्षक, खण्डवा वृत्त खण्डवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
- 2 उप वनमण्डलाधिकारी, उप वनमण्डल बड़वाह की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
- 3 वन परिक्षेत्र अधिकारी, वन परिक्षेत्र सनावद की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
- 4 मानचित्र शाखा प्रभारी, वनमण्डल कार्यालय बड़वाह की ओर सूचनार्थ। आप भी उक्त आदेश की एक प्रति कक्ष इतिहास में संलग्न किया जाना सुनिश्चित करें।


वनमण्डलाधिकारी

सामान्य वनमण्डल बड़वाह